मुकेश कुमार लाल, आई०ए०ए०एस०
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना-800015
फोन नं०: 0612-2217926
ई-मेल : mukesh-kumar@bihar.gov.in

पत्र सं०–एम–4–21 / 2021(खण्ड) 2182 **/ वि०**

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार। **पटना–15, दिनांक–** 27/02/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कोषागार में वेतन एवं पेंशन विपत्र पारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के क्रम में अंतिम माह में कोषागारों में काफी संख्या में विपत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिनमें अद्यतन आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र के साथ–साथ पूर्व के दावा से संबंधित बकाया विपत्र आदि भी सम्मिलित होते है। इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम माह यथा, फरवरी एवं मार्च में कोषागार में विपत्रों की सम्यक जाँच एवं उसे पारित करने में कठिनाईयाँ होती है तथा सॉफ्टवेयर सिस्टम पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो जाता है। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए यह अपेक्षित है कि कोषागार मे प्रस्तुत विपत्रों की सम्यक जांच नियमानुसार की जाए।

2. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–176 एवं 177 के अनुसार बजट में उपबंधित राशि की निकासी व्ययगत होने से बचाने के लिए नहीं की जानी चाहिए तथा कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जानी चाहिए जितना तत्काल व्यय हेतु आवश्यक है । इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक–1354 दिनांक–06.02.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है।

3. वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देश (पत्रांक–1354 दिनांक–06.02.2026) के बावजूद विभागीय स्तर पर यह संज्ञानित हुआ है कि कोषागारों में काफी संख्या में विपत्र प्रस्तुत हो रहे है तथा उनकी सम्यक जांच में कठिनाई हो रही है। यह स्थिति वित्तीय संव्यवहार हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष नहीं है।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष (2025–2026) में कोषागार में वेतन विपत्र पारित करने के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैः–

"दिनांक–10 मार्च, 2026 तक केवल स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान-वेतन एवं संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान से संबंधित विपत्र ही कोषागार में पारित किये जायेंगे। इसके पश्चात अन्य विपत्रों की नियमानुसार जांच करने के उपरांत पारित करने की कार्रवाई की जायेगी।"

5. निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–एम–4–21 / 2021(खण्ड)–..2182.. / वि० **पटना, दिनांक**–27/02/2026

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–एम–4–21 / 2021(खण्ड)–..2182.. / वि० **पटना, दिनांक**–27/02/2026

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, लोक भवन/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–एम–4–21 / 2021(खण्ड)–..2182.. / वि० **पटना, दिनांक**–27/02/2026

प्रतिलिपिः–माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव।